प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त गुडगांव।
2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य ।
4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य ।
5. कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत ।

क्रमांकः आई0आर0–2/ दिनांकः

विषयः **न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ना तथा उसमें दिनांक 01–01–2018 से बढ़ोतरी बारे।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

सरकार की अधिसूचना दिनांक 21–10–2015 द्वारा भिन्न–भिन्न रोज़गारों में दिनांक 01–11–2015 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं और यह कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जुड़े हैं । इन आंकड़ों में हुई बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती रहती है।

जैसा की उपर वर्णित है इन आंकड़ों में हुई बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास के पश्चात् (1 जनवरी व 1 जुलाई) न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती रहती है। अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, हरियाणा से जुलाई 2017 से दिसम्बर, 2017 तक हरियाणा राज्य कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत घटत/बढ़त की सूचना प्राप्त हुई है जो कि निम्न प्रकार से हैः–

जुलाई, 2017	1104 (2385)
अगस्त, 2017	1109 (2395)
सितम्बर, 2017	1114 (2406)
अक्तूबर, 2017	1119 (2417)
नवम्बर, 2017	1121 (2421)
दिसम्बर, 2017	1113 (2404)
औसत	1113 (2404)

Sarabjit Singh Dheer

इस बारे यह बताया जाता है कि जून, 2017 को समाप्त हुई अर्धवर्ष में मूल्य 2320 था और मास दिसम्बर, 2017 में अर्धवर्ष की समाप्ति के बाद मूल्य सूचकांक 2404 हो गया है इस प्रकार मूल्य सूचकांक में 84 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21–10–2015 जो कि प्रथम नवम्बर, 2015 से लागू है, में न्यूनतम वेतन की तटस्थीकरण दर 100 प्रतिशत है। जिस अनुसार न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 5(2) के तहत दिनांक 01–01–2018 से विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों की मासिक और दैनिक वेतन में 3.62 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है।

यहां यह भी वर्णन करना उचित होगा कि पिछली छःमाही में हुई 0.76 प्रतिशत की घटोतरी के सामंजस्य उपरान्त दिनांक 01.01.2018 से अकुशल श्रमिक के मूल वेतन पर मंहगाई भत्ता रूपये 275.12, अर्धकुशल(ए) श्रमिक के मूल वेतन पर रूपये 288.87 और कुशल(ए) के मूल वेतन पर रूपये 318.48 इतनी बढोतरी हुई है। तदानुसार दिनांक 01–01–2018 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें निम्न अनुसार देय बनती हैः–

कम संख्या	श्रेणी	पद/योग्यता	मूल वेतन (रू0)	01.01.2017 से 30.06.2017 तक (रू0)	01.07.17 से 31.12.2017 तक (रू0) (क)	महगाई भत्ता 01.01.18 से लागू (रू0) (ख)	कुल वेतन (रू0) (क+ख)	दैनिक वेतन (रू0)
1.	अकुशल		7600.00	8280.20	8222.44	275.12	8497.56	326.82
2.	अर्धकुशल (ए)		7980.00	8694.20	8633.56	288.87	8922.43	343.17
	(बी)		8379.00	9128.91	9065.23	303.31	9368.54	360.32
3.	कुशल (ए)		8797.95	9585.35	9518.49	318.48	9836.97	378.34
	(बी)		9237.85	10064.62	9994.42	334.41	10328.83	397.26
4.	उच्च कुशल		9699.74	10567.85	10494.14	351.13	10845.27	417.12
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम	7980.00	8694.20	8633.56	288.87	8922.43	343.17
		(ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं	8379.00	9128.91	9065.23	303.31	9368.54	360.32
		(iii) स्नातक या उपर	8797.95	9585.35	9518.49	318.48	9836.97	378.34
		(iv) स्टेनो टाईपिस्ट	8379.00	9128.91	9065.23	303.31	9368.54	360.32
		(v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	8797.95	9585.35	9518.49	318.48	9836.97	378.34
		(vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9237.85	10064.62	9994.42	334.41	10328.83	397.26
		(vii) निजी सहायक	9699.74	10567.85	10494.14	351.13	10845.27	417.12
		(viii) निजी सचिव	10184.73	11096.25.	11018.85	368.68	11387.53	437.98
6.	डाटा एन्टरी आपरेटर		8797.95	9585.35	9518.49	318.48	9836.97	378.34
7.	चालक	हल्का वाहन	9237.85	10064.62	9994.42	334.41	10328.83	397.26
		भारी वाहन	9699.74	10567.85	10494.14	351.13	10845.27	417.12
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना वाहन	7980.00	8694.20	8633.56	288.87	8922.43	343.17
		शस्त्र सहित	9237.85	10064.62	9994.42	334.41	10328.83	397.26
9.	सुरक्षा निरीक्षक/ सुरक्षा अधिकारी/ सुरक्षा सुपरवाईजर		9699.74	10567.85	10494.14	351.13	10845.27	417.12
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में		8100.00	8824.95	8763.39	293.22	9056.61	348.33

उपरोक्त के अतिरिक्त ईट भटठा उद्योग के रेटस में बढ़ौतरी निम्न प्रकार से है:–

कम0 सं0	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार
1.	पथेरा	484.16 रूपये	544.69 रूपये
2.	भराई वाला(भट्ठें में ईटों की भराई)	(क) 217.86 रूपये प्रति हजार ईट भट्ठे में भरना परन्तु खेत से भट्ठे तक की दूरी 400 मीट[illegible] तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 19.34 रूपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर [illegible] इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर [illegible] लागू होंगी।	
		(ख) एक हजार मीटर दूरी तक 179.13 रूपये प्रति हजार ईंट टैम्पू या पशु चलित रेहड़ी [illegible] किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईटे भट्ठों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदू[illegible] 19.34 रूपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।	
3.	कैरीवाला	38.71 रूपये प्रति एक हजार ईट	
4.	निकासी वाला	159.77 रूपये प्रति एक हजार ईट	

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने–2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।

नोट :– यहां यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 01.07.2017 के बाद दी गई मंहगाई भत्ते की राशि में घटत के फलस्वरूप किसी भी प्रकार की रिकवरी/वसूली नहीं की जायेगी।

कृते: श्रम आयुक्त, हरियाणा।